# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सिवाना (बाड़मेर)

पीठासीन अधिकारी श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

प्रकरण संख्याः 107 / 2022

प्रार्थीगणः—

1. धूडसिंह पुत्र उतमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
2. लेर कंवर पत्नी उतमसिंह जाति रावणा राजपूत निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर

बनाम

विप्रार्थीगणः—

1. हुकमसिंह पुत्र माधुसिंह जाति राजपूत निवासी थापन तहसील थापन जिला बाडमेर
2. अर्जुनसिंह पुत्र माधुसिंह जाति राजपूत निवासी थापन तहसील थापन जिला बाडमेर
3. उदाराम पुत्र बदाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
4. धर्मोदेवी पत्नी बदाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
5. पोकरराम पुत्र आसाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
6. भटाराम पुत्र बदाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
7. रावतराम पुत्र आसाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
8. शंकरराम पुत्र बदाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
9. सांवलाराम पुत्र बदाराम जाति रबारी निवासी थापन तहसील सिवाना जिला बाडमेर
10. राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारक तहसीलदार सिवाना

प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपस्थितः—

1. श्री ललित जांगिड अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. विप्रार्थीगण अनुपस्थित

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 20·01·2023

प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भू.रा. अधिनियम हेतु, नेखम पैमाईयष जरिये पत्थर गढी का विप्रार्थीगण के विरूद्ध पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1131 / 405 रकबा 0.6961 हैक्टयर ग्राम थापन तहसील सिवाना में अवस्थित है प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि के खेत के बदिशा उत्तर में खसरा संख्या 154 किस्म गै.मु.नाला,बदिशा दक्षिण में विप्रार्थी संख्या 2 का खेत खसरा संख्या [illegible] 405 बदिशा पश्चिम में विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा [illegible] विप्रार्थी संख्या 03 ता 09 के खेत खसरा संख्या [illegible] गण व विप्रार्थी संख्या [illegible] 09 के मध्य सीमाओं को लेकर तनाजा बना रह[illegible] है जिससे बचने के लि[illegible]गण द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया गया है प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण के जरिये नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थीगण के विरूद्ध बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन किया। जमाबन्दी संवत् 2071 –2074 में प्रार्थीगण विवादित भूमि सरहद मौजा थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1131/405 रकबा 0.6961 हैक्टयर भूमि किस्म धोरा में बतौर खातेदार दर्ज है। प्रार्थीगण की भूमि के चारों ओर सीमा चिन्ह व पक्की माठें नहीं होने से काश्त व प्राकृतिक पैदावार लेते समय तनाव व विवाद की स्थिति पडौसी खातेदारों के साथ उत्पन्न हो जाती है, जिससे बचने के लिये प्रार्थीगण अपनी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहते है।

दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित भूमि का सीमाज्ञान करवाकर पक्के नेखम स्थापित करवाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होने एवं प्रार्थीगण विवादित भूमि के राजस्व अभिलेख में खातेदार दर्ज होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिवाना को आदेषित किया जाता है कि दोनों पक्षों की उपस्थिति में विवादित खसरा सरहद मौजा थापन तहसील सिवाना के खेत खसरा नम्बर 1131/405 रकबा 0.6961 हैक्टयर भूमि का सीमाज्ञान करवाकर चारों ओर पक्के नेखम स्थापित करावें। पक्के नेखम स्थापित करवाने हेतु तहसीलदार सिवाना को 1000/– शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिष्नर शुल्क प्रार्थीगण मौके पर अदा करेंगे, आवश्यकता होने पर तहसीलदार सिवाना को थानाधिकारी पुलिस थाना सिवाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार सिवाना बाद पालना, पालना प्रतिवेदन प्रेषित करे। तहरीर जारी हो। पालना प्रतिवेदन प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया जावे।

( दिनेश विश्नोई )
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 20-01-2023 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.02.14 11:32:22 IST
Reason: SelfAttested

( दिनेश विश्नोई )
उपखण्ड अधिकारी, सिवाना
उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)